भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2446

दिनांक 03.12.2019/12 अग्रहायण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

एकीकृत चेक पोस्ट

† 2446. सुश्री महुआ मोइत्राः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच एकीकृत चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाने के कार्य की क्या स्थिति है और इन प्रत्येक परियोजनाओं की क्या प्रगति है; और

(ख) भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रकों की निर्बाध आवाजाही के समझौते पर हस्ताक्षर की क्या स्थिति है जिससे दोनों देशों के बीच प्रभावी और कुशल व्यापार सुनिश्चित हो सके?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): भारत सरकार ने दिनांक 12 फरवरी, 2016 को भारत-बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल में एक एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) का प्रचालन शुरू कर दिया है। तत्पकश्चा त, दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को, अन्य बातों के साथ-साथ , पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 05 (पांच) स्थानों अर्थात (i) घोजडांगा, (ii)चंग्रबांधा, (iii) फुलबाड़ी, (iv) महादीपुर और (v) हिली में आईसीपी के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण और विस्तृत अभियांत्रिकी रिपोर्ट (डीईआर) तैयार करने हेतु "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन 05 आईसीपी के लिए भूमि की उपलब्धता का आकलन करने हेतु विशेष सचिव, गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया है।

(ख): सीमाओं के पार वाहनों की निर्बाध आवाजाही के लिए भूटान, बांग्लाशदेश, भारत और नेपाल के बीच मोटर वाहन करार पर जून, 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे।

******